



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

जयपुर हाउस आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार, शास्त्रीपुरम एवं इन्दिरापुरम योजनाओं में स्थित भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण दिनांक 01/7/19 से दिनांक 31.03.2019 तक

आवंटन झा प्रत्येक माह की 10 तारीख को प्रातः 11:00 बजे

क्र० सं०	योजना	फेस/ सैक्टर	सम्पत्ति श्रेणी	कुल संख्या	सम्पत्ति का मानक क्षेत्रफल	प्रति सम्पत्ति अनुमानित मूल्य (रु०)	10% पंजीकरण धनराशि आवेदन के साथ (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कालिन्दी विहार योजना(भूतल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	7	15.04	338400.00	33840.00
2	कालिन्दी विहार योजना(प्रथम तल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	8	15.04	293700.00	29370.00
3	कालिन्दी विहार योजना(भूतल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	17	22.92	985615.00	98562.00
4	कालिन्दी विहार योजना(प्रथम, द्वितीय तृतीय तल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	53	22.92	831350.00	83135.00
5	कालिन्दी विहार योजना(भूतल)	सी	एल.आई.जी. (भवन)	8	45.63	1756800.00	175680.00
6	कालिन्दी विहार योजना(प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल)	सी	एल.आई.जी. (भवन)	17	45.63	1463900.00	146390.00
7	कालिन्दी विहार योजन	डी	एम.एम. आई.जी. (भवन)	1	100.33	2138700.00	213870.00
8	शास्त्रीपुरम योजना	बी	एम.आई.जी. (भवन)	7	120.32	4285500.00	428550.00
9	इन्द्रापुरम योजना	-	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	1	27.87	828490.00	82849.00
10	इन्द्रापुरम योजना	-	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	1	27.87	758810.00	75881.00
योग				120			

प्रमुख शर्तें :-

- आवंटन के नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में व पेमेन्ट शेड्यूल, अन्य विवरण पंजीकरण पुस्तिका के साथ संलग्न है।
- पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर हाउस आगरा स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा से रु० 560/- नकद जमा कराकर दिनांक 01/7/19 से प्राप्त की जा सकती है।
- किसी भी सम्पत्ति श्रेणी में विशिष्ट सम्पत्ति के लिये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है के आधार पर किया जायेगा।
- उक्त कॉलम-8 में अंकित पंजीकरण धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत नकद, डिमाण्ड ड्रफ्ट, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से आगरा विकास प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, में जमा कराते हुए इसी बैंक में दिनांक 31.03.2019 तक पंजीकरण फार्म जमा कराना होगा।
- आवेदन ऑन लाईन के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- सम्पत्ति के मूल्य की 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए), भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत पट्टा किराया अथवा 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त माँग पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि में एक मुश्त देय होगा।
- विज्ञापित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- बहुमंजिले भवनों के आवंटन हेतु भूतल भवनों की लॉटरी पृथक से एवं अन्य समस्त तलों की लॉटरी संयुक्त रूप से डाली जायेगी।
- प्रत्येक माह में अन्तिम तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदनों का लॉटरी झा अगले माह की 10 तारीख को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। अवकाश की दशा में आगामी कार्य दिवस में किया जायेगा। लॉटरी झा हेतु प्रत्येक माह की 05 तारीख को लॉटरी सूची प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ चस्था की जायेगी। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति हो तो वह प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अपनी आपत्ति का निराकरण करा सकता है।
- पंजीकरण धनराशि जमा कराये जाने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर जाकर ई-चालान प्राप्त कर उसे प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कराने होंगे।

संयुक्त सचिव

सचिव

उपाध्यक्ष